कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक/स्टेनो/ए.डी.एम./को.वाय./2020/205/3772 मुरैना,दिनांक 20.03.2020

आदेश

विषयः–कोरोना वायरस के संभवित प्रभाव से आमजन को सुरक्षित रखने हेतु।

शासन पत्र :– संचनालय स्वास्थ्य सेवा राज्य सर्वीलेंस इकाई भोपाल का बुलेटिन दिनांक 12.03.2020, वाणिज्य कर विभाग का आदेश दिनांक 13.03.2020, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण का आदेश दिनांक 13.03.2020, शासन के पत्र क/36/प्र.सं/स्वा/सत्रह भेंजी–तीन दिनांक 15.03.2020, क/38/ACS/GAD/**2020** दिनांक 19.03.2020, मा0शि0मं0 म.प्र. भोपाल का पत्र क/1625/परीक्षा समन्वय/2020 दिनांक 19.03.2020, मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क/168/मु.स./2020 दिनांक 19.03.2020, पत्र क/169/मु.स./2020 दिनांक 19.03.2020, एवं पत्र क/170/मु.स./2020 दिनांक 19.03.2020, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग संचनालय भोपाल का पत्र क/एफ/4–3/2020/29–1 दिनांक 19.03.2020, भारत सरकार का परामर्श सम्बन्धी एडवायजरी।

संदर्भः– कोरोना से बचाव कार्यवाही के कम में कार्यालयीन पत्र क/स्टेनो/ए.डी.एम./186/3197 दि. 06.03.20 पत्र क/607 दिनांक 13.03.20, पत्र क/171 दिनांक 13.03.2020 एवं पत्र क/199 दिनांक 15.03.2020.

....

प्रदेश में कोरोना वायरस के संभवित प्रभाव को रोकने के लिए पूर्व में संदर्भित पत्रों एवं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कई मीटिंगों के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों को और गति देने के लिए समेकित निर्देश निम्नवत् जारी किए जाकर निर्देशित किया जाता है कि जिले के सभी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्रों में रहते हुए स्वयं व आमजन की सुरक्षा के संयुक्त प्रयास करेंगे तथा अपनी गतिविधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन को समय–समय पर अवगत करावेंगे। इस हेतु शासन के विषयांकित सभी निर्देश टीम मुरैना व अन्य माध्यामें से आपके पास उपलब्ध है, जिनके पालन कम में आपको कार्यवाही करना है, यदि आपके पास उपलबध न हो तो उन्हें तत्काल इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त निर्देशों के परिपालन में मुरैना जिले में कोरोना वायरस से सावधानी एवं नियंत्रण हेतु नीचे सारणी अनुसार विभागों को आवश्यक एवं समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु दायित्व सौंपे जाते है तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन आपको अपनी पूर्ण क्षमता, विवेक का उपयोग करते हुए त्वरित गति से करना है। जिला प्रशासन आपकी गतिविधियों पर सूक्ष्म नगर रखेगा। अतः शिथिलता व लापरवाही न बरतें।

क.	विभाग का नाम	सौंपे गये दायित्व
1	2	3
1.	स्वास्थ्य विभाग	1. जिला चिकित्सालय मुरैना में कोरोना वायरस के रोग से पीड़ितों के लिए शासन मानक अनुसार Isolation Ward को

		मय अमला, दवाई एवं संसाधनों के साथ तैयार रखना। 2. जिला अस्पताल की तर्ज पर Cold OPD विकासखण्डों में भी पृथक से लगवाई जावें। 3. कोरोना वायरस से बचाव हेतु प्राप्त निर्देशों का प्रचार–प्रसार कराया जावें। 4. कोरोना वायरस से बचाव हेतु शासन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जावें। 5. कोरोना वायरस हेतु स्थापित जिला नियंत्रण कंक्ष निरन्तर संचालित रखा जावें, जिसका दूरभाष नं. 07532–223012 है।
2.	1. नगर पालिक निगम 2. श्रम विभाग	1. निरन्तर साफ–सफाई कराया जाना। 2. आवश्यक कीटनाशक दवाईयों का निरन्तर छिड़काव कराया जाना। 3. नगरीय क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों में उपभोक्ताओं के बीच न्यूनतम 1 मीटर की दूरी रखी जावें। 4. बाजारों में होने वाली भीड़ में संक्रमण की संभावना को देखते हुए व्यवसायिक मॉल केवल दोपहर 12.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक खोले जावें। 5. नगरीय क्षेत्रों के मुख्य–मुख्य चौराहों पर कोरोना वायरस से बचाव हेतु बैनर, होर्डिंग्स इत्यादि लगाई जावें। 6. कोरोना वायरस से बचाव हेतु प्राप्त शासन निर्देशों का निरन्तर प्रचार–प्रसार एवं एनाउन्समेन्ट कराया जावें। 6. कोरोना वायरस से बचाव हेतु शासन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जावें।
3.	खाद्य विभाग	1. खाद्यान्न वितरण के समय 20 से अधिक व्यक्तियों की लाईन न लगाया जाना व लाईन में प्रत्येक व्यक्ति की 01 मीटर की दूरी रखी जाना। 2. वितरण मशीन को अंगूठा लगाये जाने पर हर–बार सैनिटाईज करना।
4.	उच्च शिक्षा एवं शिक्षा विभाग	1. शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय, सी.बी.एस.ई. बोर्ड व अन्य बोर्ड से संबंधित प्राथमिक / माध्यमिक / हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाना। 2. समस्त कोचिंग सेन्टर को बंद कराया जाना। 3. कोरोना वायरस से बचाव हेतु शासन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जावें।
5.	वन विभाग	1. घड़ियाल अभ्यारण्य में आमजन का प्रवेश निषेध किया जावें। 2. कोरोना वायरस से बचाव हेतु शासन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जावें।

(7)

6.	आबकारी विभाग	1. समस्त सिनेमा/वीडियों हॉल में सिनेमा प्रदर्शन को बंद रखा जाना। 2. कोरोना वायरस से बचाव हेतु शासन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जावें।
7.	1. समस्त एस.डी.एम. 2. पुलिस विभाग 3. परिवहन विभाग 4. स्वास्थ्य विभाग 5. नगरीय निकाय 6. रेल्वे विभाग	1. समस्त एस.डी.एम. अनुविभागवार संयुक्त दल का गठन कर अवगत करावें तथा अपने-अपने अनुविभाग में नियुक्त संयुक्त दल की बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्देश प्रसारित करेगें। 2. जिले में आने वाले समस्त हाईवे, चेकपोस्ट एवं रेल्वे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों के माध्यम से आने वाले सभी यात्रियों की स्वास्थ्य की जॉच कराई जावें। 3. यात्रियों का विशिष्ट प्रारूप में नाम, पता, मो.नं. एवं जिसके यहॉ जा रहे है, उसका पता मोबाईल सम्पूर्ण विवरण की जानकारी ली जावें। यदि आवश्यक हो तो संयुक्त जॉच दल द्वारा उन्हें प्रदेश में न आने की सलाह दी जाए। 4. शहरी क्षेत्रों में पब्लिक यातायात सोशल डिस्टेंस लागू करने की दृष्टि से प्रत्येक सीट पर केवल एक ही व्यक्ति बैठाया जाए। 5. सार्वजनिक उपयोग में होने वाली बस आदि में सफाई व स्वच्छता की दृष्टि से डिसइन्फेक्शन बार-बार किया जावें।
8.	समस्त विभाग प्रमुख	1. समस्त विभाग प्रमुख अपने कार्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत कर्मचारियों की ही कार्यालय में उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे तथा शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी Alternate दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेगें। 2. जिन 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय आने से निषेध किया जाएगा, वे अपने शासकीय कार्य के लिए अपने मुख्यालय में रहकर निवास में ही रहेगें तथा दूरभाष एवं सम्पर्क के समस्त माध्यमों पर सम्पर्क किए जाने पर तत्काल कार्यशील होना सुनिश्चित करेगें। साथ ही कोई भी कार्यालय या उसकी शाखा पूर्णतः बंद नहीं रहेगी। 3. उक्त कार्यवाही हेतु आवश्यक रोस्टर बनाऐं तथा प्राथमिक वाले शासकीय कार्य प्रभावित न हो, सुनिश्चित किया जाना। 4. यह निर्देश अत्यावश्यक सेवाऐं, जैसे-स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल, विद्युत, साफ-सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवाऐं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा। 5. कार्यस्थल को असंक्रमित करने हेतु Summary of Various Guidelines for workplace preparedness for COVID-19 दिशा-निर्देश का पालन करें।

इसके अतिरिक्त शासन निर्देशों एवं विभाग निर्देशों के कम में जो अन्य उपाय भी आवश्यक हो या भविष्य में निर्देश प्राप्त हो, उनका भी पालन तत्परता से यथासमय किया जाए।

उक्त समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किए जाने हेतु अनुविभाग स्तर पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी **नोडल अधिकारी** रहेगें तथा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) **निरन्तर एस.डी.एम. के सम्पर्क** में रहेगें।

सम्पूर्ण जिले के नोडल अधिकारी ए.डी.एम., मुरैना होगें तथा श्री सुनील शर्मा, संयुक्त कलेक्टर मुरैना सहायक नोडल अधिकारी रहेगें। सहायक नोडल अधिकारी प्रतिदिन समस्त एस.डी.एम. व एस.डी.ओ.पी. से 02 बार चर्चा कर समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.

पृ.कमांक/स्टेनो/ए.डी.एम./को.वाय./2020/206/3772 मुरैना,दिनांक 20.03.2020

प्रतिलिपि :—

1. उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना।
5. महानिरीक्षक पुलिस, चम्बल जोन, ग्वालियर।
6. उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, मुरैना।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना।
8. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल मुरैना।
9. अपर जिला दण्डाधिकारी, मुरैना।
10. श्री सुनील शर्मा, संयुक्त कलेक्टर, मुरैना।
11. अधीक्षण यंत्री, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. मुरैना।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन, मुरैना।
13. आयुक्त, नगरपालिक निगम/पी.ओ. डूडा, मुरैना।
14. समस्त एस.डी.एम./एस.डी.ओ.पी. ...., जिला मुरैना।
15. जिला शिक्षा अधिकारी, मुरैना।
16. समस्त विभाग प्रमुख ...., जिला मुरैना की ओर पालनार्थ।
17. समस्त तहसीलदार/थाना प्रभारी/सी.ई.ओ. जनपद पंचायत/सीएमओ/बीईओ/बीएम.ओ./ ....की ओर पालनार्थ।
18. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मुरैना की ओर प्रचार–प्रसार हेतु।
19. ....की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.